[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 04/2026-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2क.	1518	खाना पकाने का प्रयुक्त तेल	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”;

(ii) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3ख.	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3ग.	4004	टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”;

(iii) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 06/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 614(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।